

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या 1889/2013/जयपुर
2.अपील संख्या 1890/2013/जयपुर

मैसर्स एच.सी.एल.इंफोसिस्टक्स लिमिटेड.
जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.05.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलीय अधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 39 व 40/अपील्स-तृतीय/आरवीएटी/सी/जयपुर/2012-13 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 05.09.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2008-09 व 2009-10 के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.03.2013 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित की है, में से कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है :-

अ.सं.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल योग
1889/13	2008-09	589457/-	318307/-	1178914/-	2086678/-
1890/13	2009-10	3675440/-	1543685/-	7350880/-	12570005/-


चूँकि दोनों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित है, इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का
लगातार.....2

सर्वेक्षण दिनांक 18.09.2012 को किया गया, जिस पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में Mobile Phone Accessories Laptop Battery, Adapter/Charger का विक्रय किया जाकर उस पर 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। जबकि सशक्त अधिकारी ने उक्त बिक्रीत वस्तु पर अधिनियम की अनुसूची पंचम के अन्तर्गत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर 8.5/9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया तथा आरोपित कर अदत्त रहने के कारण ब्याज आरोपित किया। अपीलार्थी द्वारा करापंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियों का आरोपण उपर्युक्त तालिका के अनुसार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रकार से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यथावत रखे गये कर एवं ब्याज को इन अपीलों में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा Mobile Phone Accessories Laptop Battery, Adapter/Charger को मोबाईल का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अवशिष्ट अनुसूची-IV के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है जबकि अक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित होती है क्योंकि प्रविष्टि 12 में "Cellular Telephones" अंकित है एवं प्रविष्टि संख्या 28 में Parts of 1 to 27 above अंकित है अर्थात् बैटरी अधिनियम की अनुसूची-ए के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 12 में अंकित "Cellular Telephones" का पार्टस होने से प्रविष्टि संख्या 28 में आच्छादित होती है, जिस पर आलोच्य अवधियों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है न कि 14 प्रतिशत साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मोबाईल बैटरी, एडाप्टर व चार्जर मोबाईल यंत्र का आवश्यक पार्ट है, जिसके बिना मोबाईल यंत्र कार्य नहीं कर सकता है। विशिष्ट मोबाईल बैटरी, एडाप्टर व चार्जर केवल मात्र विशिष्ट मोबाईल यंत्र में प्रयोग होती है एवं इसका अन्य कोई प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मेसर्स नोकिया इण्डिया प्रा.लि., भिवाडी, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन, राजस्थान प्रथम, जयपुर अपील संख्या 469 से 472/2014/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपीलों स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारास पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं. 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि. बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। अतः उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।



लगातार.....3

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि Mobile Phone Accessories, Laptop Battery, Adapter/Charger कर देयता किस दर से निर्धारित होगी। इस संबंध में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं. 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि. बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार बैटरी पर कर देयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 बैटरी पर कर देयता के 4/5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा बिक्री बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता विधि सम्मत है। अतः बैटरी पर कर देयता के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर बैटरी के बिन्दु पर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है। जहां तक अडाप्टर/चार्जर के उपर कर देयता का प्रश्न है तो यह दोनों ही वस्तुएं न तो स्वयं सैल फोन है और न ही सैल फोन के पार्ट है बल्कि भिन्न व्यापारिक वस्तु हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम मैसर्स नोकिया इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (41 टैक्स अप डेट 47) में निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया गया है:-

In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. We further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone.

Adapter/Charger पर कर देयता के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर प्रस्तुत अपीलों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष